

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्ण रेखा बहुददेशीय परियोजना/
मुख्य अभियंता, चाण्डिल कम्पलेक्स/ईचा-गालूडीह कम्पलेक्स, सुवर्ण रेखा परियोजना;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 21.09.2022

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सुवर्णरेखा बहुददेशीय परियोजना के कार्यान्वयन हेतु रु. 36.924 (छत्तीस लाख बानबे हजार चार सौ मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृतादेश सं.-46/20-21 प्र० स्वी० दिनांक 19.03.2021 (Online AA-2182 & 2184 dated. 24.03.2021)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन आवंटन संसूचित किया जाता है।

(लाख रु. में)

क्र.	मॉग सं./मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट उपबंध	पूर्व में निर्गत आवंटन	वर्तमान आवंटन	वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य, / 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोगना,	12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49C47008079612000545	5500.00	0.00	0.00	0.00
2.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य/ 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड -49C47008078912000545	5500.00	0.00	0.00	0.00
3.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य, / 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोगना,	12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S47008079612000545	3106.00	0.00	0.00	0.00
4.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य/ 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S47008078912000545	3106.00	0.00	0.00	0.00
5.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य, / 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोगना,	13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S47008079613000545	10000.00	9816.818	3.594	9820.412
6.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य/ 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S47008078913000545	10000.00	8982.60	33.33	9015.930
7.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य, / 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोगना,	11- सुवर्णरेखा परियोजना (उड़ीसा/ पश्चिम बंगाल की शंकर राशि), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S47008079611000545	100.00	0.00	0.00	0.00
कुल				37312.00	18799.418	36.924	18836.342
8.	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि		मार्च, 2022 तक योजना पर कुल व्यय (कड़िका-6) में विवरण अंकित	वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल निर्गत आवंटन		योजना पर कुल निर्गत आवंटन	
	1284946.00		672311.95413	18836.342		691148.29613	

वर्तमान आवंटित राशि - रु. छत्तीस लाख बानबे हजार चार सौ मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 एवं 2 में अंकित कार्यालय के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2022-23 में विपत्र कोड 49S47008079613000545 के बजट उपबंध रु. 10000.00 लाख तथा विपत्र कोड 49S47008078913000545 के बजट उपबंध रु. 10000.00 लाख मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि का व्यय विषयांकित कार्य हेतु स्वीकृत कार्यक्रम तथा विभागीय पत्रांक 1/पी.एम.सी./कार्य-996/2017-46/20-21, प्र.स्वी./राँची, दिनांक 19.03.2021 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।

(हरेंद्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

5. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681 दि. 10.06.2015 के आलोक में होगा।
6. परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2021-22 पूर्व में निर्गत आवंटन में से भू-अर्जन मद में अव्यवहृत राशि रु. 17216.00 लाख के विरुद्ध गत वित्तीय वर्ष में रु. 17264.80 लाख (पूर्व में प्रतिवेदित व्यय में सम्मिलित) की राशि वित्त विभागीय परामर्श के क्रम में निर्गत विभागीय पत्रांक 5594 दिनांक 08.11.2021 के आलोक में समुचित राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा कर दिया गया है। फलस्वरूप पूर्व में प्रतिवेदित मार्च, 2021 तक परियोजना पर कुल व्यय की राशि रु. 663648.97374 लाख को रु. 646384.17374 लाख (663648.97374 - 17264.80) के लिये संशोधित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में परियोजना पर कुल व्यय रु. 25927.78039 लाख हुई। इस प्रकार मार्च, 2022 तक परियोजना पर कुल व्यय की राशि रु. 672311.95413 लाख (646384.17374 + 25927.78039) है।
7. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
8. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि का अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारत करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. झारखण्ड वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2023 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका LOC No. एवं Access no संलग्न परिशिष्ट-1 एवं 2 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनदेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त



(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 127

राँची, दिनांक :- 21.09.2022

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसाँवा/चाईबासा/चाण्डिल/घाटशिला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त



(प्रशांत कुमार)
सचिव


ज्ञापांक :- 127


राँची, दिनांक :- 21.09.2022

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास, विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त./सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक :- 127 दिनांक 21.09.2022 का अनुदानक परिशिष्ट-1

माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष - 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य

लाघु शीर्ष -789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

उप शीर्ष -13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना).

विरस्त शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य. विपत्र कोड - 49S47008078913000545

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट उपबंध रू. 10000.00 लाख मात्र ।

(राशि रू. लाख में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ता		राशि	मार्च 2022 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटन			On-line Allotment LOC No. / Access No.	अभियुक्ति
				प्रस्ता	स्वी०			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	केंद्रीय भंडार एवं शिपिंग, प्रमंडल, यादगिर (SKLIRR020)	यादगिर कॉम्प्लेक्स	सुवर्णरेखा बहुदंशरीय परियोजना	46/20-21 प्र० स्वी०	दिनांक 19.03.2021 (Online AA-2182 & 2184 dated. 24.03.2021)	1284946.000	672311.95413	30.00	33.33	63.33	608 ----- 50437	
योग								30.00	33.33	63.33		

आवंटित राशि -रू तैतीस लाख तैतीस हजार मात्र ।

(हरनंद कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक :- 127

दिनांक 21.09.2022

का अनुलग्नक

परिशिष्ट-2

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष - 4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिचय
उप मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य
लघु शीर्ष - 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना
उप शीर्ष -13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना),
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S47008079613000545
वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट उपबंध रू. 10000.00 लाख मात्र।

(राशि रू. लाख में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2022 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटन			On-line Allotment LOC No. / Access No.	अभियुक्ति	
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	गालूडीह दायां नहर प्रमंडल सं.-1, मुसाबनी, शिविर गालूडीह (JSRARR039)	ईचा-गालूडीह कॉम्पलेक्स	सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना	46/20-21 प्र० स्वी० दिनांक 19.03.2021 (Online AA-2182 & 2184 dated. 24.03.2021)	1284946.000	672311.95413	180.000	3.594	183.594	204 ---- 50441		
							योग	180.000	3.594	183.594		

आवृत्त राशि - रू तीन लाख उनसठ हजार चार सौ मात्र।



(हरेन्द्र कुमार)

सहायक अभियंता



(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)



(रमेश किशोर प्रसाद सिंह)

संयुक्त सचिव (अभि.)



(प्रशांत कुमार)

सचिव